भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5655
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाएं

5655. **श्री बिद्युत बरन महतोः**
मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि असम के धुबरी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी बच्चों, विशेषकर वंचित अथवा जनजातीय समुदायों के बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो;

(ख) झारखंड सहित उक्त क्षेत्रों, विशेषकर जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों, जहां बाल मृत्यु दर बहुत अधिक है, में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने और कुपोषण को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेष रूप से सर्वाधिक कमजोर समुदायों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास को सहायता प्रदान करने के लिए उक्त क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और आंगनवाड़ी कार्यक्रमों जैसे किन्हीं लक्षित उपायों अथवा योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) का कार्यान्वयन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीएसईएल) द्वारा किया जाता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 धुबरी, असम के वंचित या जनजातीय समुदायों सहित पूरे भारत पर लागू होता है और यह उपयुक्त सरकार को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक आस-पास के स्कूल में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं जो आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत उपयुक्त सरकार है। शिक्षा मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में आरटीई अधिनियम, 2009 के सभी प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परामर्श/दिशानिर्देश जारी करता है।

(ख): 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत, कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केन्द्र प्रायोजित मिशन है, जहां विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्व-चयनित व्यापक योजना है जहां किसी भी लाभार्थी के लिए पंजीकरण करने और सेवाएं प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है। यह मिशन झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश में मानव पूंजी के विकास में योगदान देना;
- कुपोषण की चुनौती का समाधान करना;
- स्थायी स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए पोषण जागरूकता तथा खान-पान की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण

(एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन और अल्प वजन के प्रसार को कम किया जा सके।

इस मिशन के तहत बच्चों (6 माह से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में पिछले वर्ष संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जो गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाया जाने वाला राशन (टीएचआर) तैयार करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

इस मिशन के अंतर्गत लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन प्रमुख कार्यकलाप हैं क्योंकि पोषण संबंधी अच्छी आदतों को अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन हेतु सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक

महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण प्रदायगी तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जाना है। झारखंड राज्य में 16775 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नत करने की मंजूरी दी गई है।

(ग) एवं (घ): सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की पोषण भी पढ़ाई भी पहल का शुभारंभ आंगनवाड़ी प्रणाली का ध्यान प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित करने तथा आंगनवाड़ी केंद्र को उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, खेल उपकरण और अच्छी तरह से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ एक शिक्षण केंद्र में बदलने के लिए किया गया था ताकि दिव्यांग बच्चों सहित 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रचनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को समर्थ बनाने और दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए इष्टतम शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय ने पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत दो पाठ्यक्रम रूपरेखाएँ - "नवचेतना- जन्म से तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा, 2024" और "आधारशिला- तीन से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024" तैयार की हैं। "नवचेतना" का उद्देश्य बच्चों के इष्टतम विकास के लिए उत्तरदायी देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के अवसरों के माध्यम से समग्र प्रारंभिक प्रोत्साहन प्रदान करना है। जबकि, "आधारशिला" शारीरिक/मोटर, संज्ञानात्मक, भाषा और साक्षरता, सामाजिक-भावनात्मक, सांस्कृतिक/सौंदर्यबोध के साथ-साथ सकारात्मक आदतों सहित विकास के सभी क्षेत्रों को शामिल करती है।

*****